

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी—सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1063 सन 2026
CNR. No.UPSP010032432026

नासिर पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला, निवासी मौहल्ला बैरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त ।

बनाम

उ0प्र0 राज्य ।

.....विपक्षी ।

मुकदमा अपराध संख्या 241/2025
धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0,
थाना बडगांव, जिला सहारनपुर ।

निस्तारण जमानत प्रार्थना-पत्र

19.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त नासिर की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 10.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अफजाल पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2025 को मैं उपनिरीक्षक लाखन सिंह थाना हाजा से रवाना होकर वास्ते जाँच प्रार्थना पत्र देखरेख शान्ति व्यवस्था रोक थाम जुर्म जरायम इलाका गस्त क्षेत्र में मामूर था कि जब मैं गस्त करता हुआ गाँव दल्हैडी पहुंचा तो समय करीब 17:00 बजे मुझे सूचना मिली कि गाँव दल्हैडी के जंगल में अशोक पुत्र रणवीर सिंह निवासी गाँव दल्हैडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर के लीची, अमरूद के बाग में गौ-वंश के कुछ अवशेष पड़े हैं। सूचना मिलते ही मैं उपनिरीक्षक तत्काल मौके पर पहुंचा तो देखा कि अशोक उपरोक्त के लीची, अमरूद के बाग में गौ वंशो के कटे हुए दो सिर, एक पैर का कटा हुआ खुर व खाल के कुछ अवशेष किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कहीं से लाकर डाल दिये गये हैं जो देखने में 2-3 दिन पुराने प्रतीत हो रहे थे। मौके से पशु चिकित्सक डॉ० ज्ञानेन्द्र सिंह को उनके दूरभाष सं० 9412888404 पर सम्पर्क कर घटना की जानकारी दी तो डॉ० ज्ञानेन्द्र मौके पर पहुंचे तो गौवंशो के अवशेषों की फोटो ग्राफी की और बतौर नमूना सैम्पल लिया। बाद डाक्टर जानेन्द्र सिंह की कार्यवाही गौ वंश के अवशेषों को गड्डा खोदकर दफना दिया। उचित कानूनी कार्यवाही की जाये।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि उसका उक्त घटना से कोई मतलब वास्ता किसी प्रकार का नहीं है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है। उसके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन माह के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी हुई है। तथाकथित घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है। सहअभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी पूर्व सजायाफता नहीं है। प्रार्थी दिनांक 10.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गौकशी करने का आक्षेप है। प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। केस डायरी के अनुसार दौरान विवेचना पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किए जाने पर उसके कब्जे से गौकशी के उपकरण बरामद होना तथा पूछताछ के दौरान उसके द्वारा इस अपराध की संस्वीकृति किए जाने के आधार पर उसका नाम इस मामले में प्रकाश में आना दर्शित है, परन्तु आवेदक/अभियुक्त की कथित प्रकार से गिरफ्तारी एवं उसके कब्जे से कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना अभिकथित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार के गोमांस की बरामदगी होना दर्शित नहीं है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। सहअभियुक्त शकील का जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.03.2026 को स्वीकार किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त नासिर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/-रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा। उपरोक्त शर्तों के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांक:-19.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891